श्री महामाया बालासुन्दरी जी चैत्र नवरात्र मेला त्रिलोकपुर – 2025 की दिनांक 07–02–2025 को आयोजित बैठक की कार्यवाही

दिनांक 07 फरवरी 2025 को श्री सुमित खिम्टा ,भा.प्र.से. ,उपायुक्त सिरमौर एवम् आयुक्त मन्दिर की अध्यक्षता मे प्रातः 10.30 बजे नाहन स्थित कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक में माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी जी विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कानून एवम् व्यवस्था तथा यात्रियों की सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाओं आदि हेतु आमन्त्रित अधिकारियों सहित न्यास के सरकारी तथा गैर–सरकारी सदस्यों की उपस्थित रही जिनकी सूची संलग्न है।

एस.डी.एम.नाहन एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा उपस्थित सदस्यों के स्वागत अभिनन्दन सहित अध्यक्ष महोदय से स्वीकृति उपरान्त कार्यवाही प्रारम्भ की गई । सर्वप्रथम सूचित किया गया गया कि **चैत्र नवरात्र मेला दिनांक 30–03–2025 से 12–04–2025** तक आयोजित किया जा रहा है जिसमें उत्तर भारत से लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। अतः पूर्व मेलों के अनुभव अनुसार यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं, कानून एवम् सुरक्षा व्यवस्था तथा आपदा प्रबन्धन सहित निम्नलिखित मदें चर्चा व अनुमोदन हेतु पेश की गई–

कम संख्या	मामला / मद विवरण	चर्चा व निर्णय	
1	कानून व्यवस्था एवम् सुरक्षा	एस.डी.एम.नाहन एवम् संयुक्त आयुक्त मन्दिर द्वारा प्रस्तावित किया गया कि चैत्र नवरात्र मेला आश्विन नवरात्र मेला की तुलना में बड़ा मेला माना जाता है, अतः उक्त मेले में हजारों यात्रियों के पधारने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के साथ–2 सुरक्षा तथा कानून एवम् सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जानी है। उक्त आशय हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव रखे गए– 1 मेला क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था व यात्रियों की **सुरक्षा हेतु 100 गृह रक्षकों** सहित **पुलिस कर्मियों की तैनाती** प्रस्तावित की गई। विस्तृत चर्चा उपरान्त बैठक में उपस्थित उप–पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि उन्के विभाग द्वारा पूर्व मेला की तरह इस बार भी पुलिस कर्मचारियों को अस्थाई आधार पर तैनात कर दिया जाएगा। 2 गृह रक्षकों बारे बैठक में उपस्थित आदेशक गृह रक्षा के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि उनके विभाग द्वारा 100 गृह रक्षक उपलब्ध न्यूनतम मजदूरी दरों पर करवाए दिए जाएंगें। **इसके अतिरिक्त 100 सुरक्षा गार्ड अनुभवी निजि सुरक्षा एजेन्सियों से रखने के प्रस्ताव का अनुमोदन** दिया गया जिसके लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति सहित पुलिस विभाग के अधीन 15 दिन हेतु रखने का निर्णय लिया गया।	SP Sirmour Commandent Home Guard

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

<table>
<tr>
<td>2</td>
<td>मेला अधिकारियों व मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट की अस्थाई नियुक्ति।</td>
<td>
<u>बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव चर्चा व अनुमोदन हेतु रखे गए–</u>

1. एस.डी.एम.नाहन को मुख्य मेला अधिकारी, तहसीलदार नाहन को मेला अधिकारी व मेला पुलिस अधिकारी हेतु डी.एस.पी. नाहन की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया। उक्त प्रस्ताव बारे के अनुमोदन सहित अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि उक्त आशय हेतु आवश्यक कार्यवाही एल.एफ.ए. ब्रांच के माध्यम से सुनिश्चित की जाए।

एस.डी.एम. नाहन द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व मेला की तरह भीड़ के सुनियोजित नियन्त्रण हेतु मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित किया जाना प्रस्तावित है उक्त प्रस्ताव का चर्चा उपरान्त अनुमोदन दिया गया व अनुरोध किया गया कि भीड़ के आंकलन व विश्लेषण हेतु मेला से एक दिन पूर्व पुलिस अधिकारियों ,डियुटि मैजिस्ट्रेट व सभी सरकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाए। साथ ही सभी विभागों के कर्मचारियों , गृह रक्षकों व निजि सुरक्षा कर्मियों द्वारा भी एक दिन पूर्व डियुटि पर उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मेला क्षेत्र को पूर्व मेला की तरह निम्नानुसार चार सेक्टरों में विभाजित करने का निर्णय लिया गया–

(a) प्रथम सेक्टर मन्दिर परिसर तथा मुख्य प्रवेश द्वारा से मेला हॉल प्रवेश तक ,
(b) दूसरा सेक्टर मन्दिर के बाहरी स्थित मुख्य गेट से नीचे की ओर बाजार गेट , निकासी गेट तक व बाजार गेट से कैनोपी शेड शुरु होने के प्वाईंट तक ,
(c) तीसरा सेक्टर कैनोपी शेड शुरु होने के प्वाईंट से ध्यानू भगत मन्दिर तक , मुख्य स्वागत द्वार, गोल चक्कर , मेला भण्डारा मैदान व बस पार्किंग तक ।
(d) चौथा सेक्टर बाईपास मार्ग ,हिमूडा पार्किंग –काला अम्ब तक ।

2. उपरोक्त सेक्टरों में जिला प्रशासन की ओर से चार राजस्व अधिकारियों /डियुटि मैजिस्ट्रेस को एक वाहन तथा पुलिस सुरक्षा कर्मचारी सहित मेला डियुटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
</td>
<td>SDM Nahan & Duty Magistrates, Tehsildars

Mela Police Officer & Duty Magistrates</td>
</tr>
</table>

Joint Commissioner (Temple)-cum-SDM Nahan (H.P.)

		3. बैठक में अवगत करवाया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा मेला परिसर सहित मन्दिर न्यास के समस्त भवनों में निगरानी हेतु सी.सी.टी.वी. सिस्टम स्थापित करवाया जा चुका है तदापि मेला क्षेत्र में मेला पुलिस अधिकारी की मांग अनुसार यथा आवश्यक अधिक संख्या में एच.डी.क्वालिटि के कैमरे लगाने हेतु मन्दिर अधिकारी एवम् तहसीलदार नाहन को आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति सहित प्राधिकृत करने का निर्णय लिया गया। पुलिस नियन्त्रण कक्ष तथा मन्दिर कार्यालय में सी.सी.टी.वी. के माध्यम से निरन्तर निगरानी हेतु कुशल पुलिस कर्मचारियों की तैनाती करने का अनुरोध किया गया। यह भी निर्देश दिए गए कि मेला अवधि की सी.सी.टी.वी.स्टोरेज कम से कम छः माह तक अवश्य सुनिश्चित की जाए।	DSP Tehsildar cum Temple Officer
3	आग्नेय–शस्त्रों विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबन्ध।	एस.डी.एम.नाहन द्वारा प्रस्तावित किया गया कि मेला अवधि के दौरान त्रिलोकपुर में आग्नेय–शस्त्रों ,विस्फोटक सामग्री को मेला क्षेत्र में लाना तथा त्रिलोकपुर क्षेत्र में मद्यपान प्रतिबन्ध रखा जाए। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा आवश्यक नियमों अनुसार अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए गए।	S.H.O. Kala Amb for compliance. LFA Branch
4	काला अम्ब से त्रिलोकपुर तक यातायात नियन्त्रण	1. एस.डी.एम. नाहन द्वारा अवगत करवाया गया कि चैत्र नवरात्र मेला के दौरान त्रिलोकपुर पधारने वाले वाहनों का आवागमन अत्यधिक बढ़ जाता है जबकि उक्त मार्ग पर औद्योगिक ईकाइयॉ होने के कारण पहले से ही भारी वाहनों की आवाजाही बहुत अधिक है। उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि मेला क्षेत्र से काला अम्ब तक निरन्तर यातायात नियन्त्रण हेतु गश्त करने व अनाधिकृत वाहन पार्किंग हेतु काला अम्ब थाना तथा त्रिलोकपुर पुलिस चौकी प्रभारी आपस में समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित करेंगें कि मेला त्रिलोकपुर पधारने वाले यात्रियों का सहज आना जान सम्भव हो सके। 2. मेला पुलिस अधिकारी को कालाअम्ब से मेला क्षेत्र त्रिलोकपुर तक एक वाहन न्यास की ओर से उपलब्ध करवाना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	SP Sirmour ASP/DSP S.H.O. Kala-Amb DSP

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		3. मेला में पधारने वाले जरुरतमंद यात्रियों जैसे दिव्यांग,बीमार, वरिश्ट वृद्धजनों हेतु मन्दिर न्यास की ओर से तीन सात सीटर टैक्सी वाहन हिमुडा पार्किंग से मन्दिर सराय के पिछली निजि पार्किंग तक निःशुल्क आने जाने की सुविधा हेतु हिमुडा पार्किंग के प्रवेश के समीप तैनात करने का निर्णय लिया गया । इस कार्य हेतु मन्दिर न्यास के कर्मचारी दिन –रात शिफ्टों में अस्थाई सुसज्जित टैंट में डियुटि सुनिश्चित करेंगें।	Mela Duty Magistrate for compliance.
		4. कालाअम्ब –त्रिलोकपुर मार्ग पर यातायात नियन्त्रण हेतु भारी वाहनों की आवाजाही पर प्रातः 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक प्रतिबन्ध प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।	
		5. पूर्व मेला की तरह मेला क्षेत्र में केवल मन्दिर अधिकारी तथा मौका डियुटि मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी परमिट धारक वाहनों को ही वाहन लाने ले जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई । दुकानदारें को दूध ,दहीं ,खाद्यान्न सामग्री व मेला अस्थाई दूकानों के अन्य सामान हेतु ही रात्री 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक पूर्ववत स्वीकृति डियुटि मैजिस्टेट के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया।	Mela Police Officer and S.H.O.K-amb
		6. डी.एस.पी. नाहन के परामर्श अनुसार मेला क्षेत्र में आवश्यक्ता अनुसार अतिरिक्त बैरिकेड्स न्यास की ओर से तैयार कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए। उपरोक्त प्रस्तावों के अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि मेला क्षेत्र में निर्धारित समय के अतिरिक्त वाहनों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रखा जाए जिसकी अनुपालना पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।	

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

5	वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था	मेला क्षेत्र में यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए वाहनों के आने–जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग निम्नानुसार प्रस्ताव चर्चा उपरान्त अनुमोदित किए गए – 1. प्रस्तावित किया गया कि पूर्व मेला की तरह यातायात नियन्त्रण हेतु वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था के लिये रुचिरा पेपर मिल्स के सामने के मार्ग हेतु उक्त औद्योगिक ईकाई के स्वामी से पत्राचार द्वारा अनुरोध किया जाए। 2. बैठक में आमन्त्रित विशेष अतिथि माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी द्वारा सुझाव दिया गया कि खैरी से टोकासाहिब मार्ग पर कुछ स्थानों पर तुरन्त मुरम्मत कार्य करवाया जाना है जिसे चैत्र नवरात्र मेला से पूर्व करवाना अति आवश्यक है। उक्त कार्य बैठक में उपस्थित लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता श्री आलोक जनवेजा द्वारा मेला से पूर्व करवाने का आश्वासन दिया गया। 3. माननीय विधायक श्री अजय सोलंकी द्वारा सूचित किया गया कि जनहित में सैनवाला सलानी ब्रिज से टेडी ब्रोटी ग्राम तक मार्ग पक्का बनवा दिया गया है जिसे वैकल्पिक मार्ग के तौर पर प्रयोग करना सहज होगा। उन्के द्वारा अनुरोध किया गया कि उक्त मार्ग के मध्य घाटी के समीप लगभग तीस मीटर मार्ग अभी भी कच्चा है जिसे शीघ्र ठीक करवाया जाए। चर्चा उपरान्त उपरोक्त मार्ग पर बचे शेष कार्य को पाईप लाईन शिफ्ट करने उपरान्त लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा शीघ्र अति शीघ्र पूरा करवाने का आश्वासन दिया गया। जल शक्ति विभाग को निर्देश भी दिए गए कि वह उक्त घाटी पर स्थित पाईप लाईन को मेला से पूर्व अन्यत्र शिट करवा दें।	XEN PWD AE TTT
6	स्थानीय ग्रामवासियों के वाहनों बारे।	1. एस.डी.एम. नाहन द्वारा पूर्व मेला की तरह त्रिलोकपुर ग्राम तथा समीप स्थित अन्य ग्रामवासियों के वाहनों पर प्रातः 8 बजे से रात्री 8 बजे तक आवाजाही पर प्रतिबन्ध भी प्रस्तावित किया गया जिसे चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया। ग्राम वासियों को पूर्व मेला की तरह बहुत अधिक आवश्यकता होने पर तथा वाहनों की केवल स्वीकृति समय अवधि में आने जाने हेतु वाहन स्वीकृति देने के दिए डियुटि मैजिस्ट्रेट को प्राधिकृत किया गया।	Mela Officer Mela Duty Magistrate

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		2. मेला क्षेत्र में विशेष परिस्थिति में तथा दिव्यांग/वरिष्ट वृद्धजनों आदि हेतु केवल बाई पास मार्ग से वाहन ले जाने की स्वीकृति हेतु मौका मैजिस्ट्रेट पूर्व मेला की तरह प्राधिकृत होगें। बहुत अधिक विशेष परिस्थिति में आवश्यक्ता व पात्रता के आधार पर अस्थाई वाहन केवल बाईपास वाहन से वाहन पार्किंग तक स्वीकृति जारी करने हेतु मौका मैजिस्ट्रेट प्राधिकृत होगें।	
7	गुमशुदा एवम् पूछताछ कक्ष की स्थापना	एस.डी.एम.नाहन द्वारा प्रस्ताव अनुसार अत्यधिक भीड़ के कारण बिछड़े यात्रियों के बच्चों ,वृद्धजनों व महिलाओं आदि हेतु पब्लिक एडरेस सिस्टम सहित एक गुमशुदा एवम् पूछताछ तलाश केन्द्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया जिसे मन्दिर न्यास के पिछली ओर स्थित पुरानी सराय में लोक सम्पर्क विभाग के स्टॉफ सहित स्थापित रखने के निर्देश दिए गए।	DPRO & AM Temple
8	कालाअम्ब मार्ग पर स्थित ग्राम खैरी से ग्राम त्रिलोकपुर तक मार्ग मुरम्मत हेतु।	1 बैठक में उपस्थिति अधिशासी अभियंता द्वारा अवगत करवाया गया कि उनके विभाग द्वारा मेला से पूर्व तुरन्त आवश्यक मुरम्मत कार्य करवा दिया जाएगा। यह भी सूचित किया गया कि त्रिलोकपुर प्रवेश मार्ग पर मुरम्मत सहित इन्टरलॉक टाईलों को लगवाने का कार्य भी प्रगति पर है तथा रुचिरा पेपर मिल्स के पास मार्ग पर बचे शेष मुरम्मत तथा इन्टरलॉक टाईलों को लगवाने का कार्य मेला से पूर्व करवा दिया जाएगा। 1. उक्त मद पर चर्चा के दौरान सहायक अभियंता मन्दिर न्यास द्वारा प्रस्तावित किया गया कि हिमुडा मार्ग चढ़ाई के समीप स्थित मार्ग के साथ लगता 100 फिट के लगभग नाला ढकवाया जाना अति आवश्यक है। उक्त प्रस्ताव पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई तथा आवश्यक औपचारिकताओं उपरान्त मेला से पूर्व न्यास के माध्यम से करवाने के निर्देश दिए गए। लो.नि.विभाग के अधिशासी अभियंता द्वारा उक्त कार्य को न्यास से करवाने का अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का आश्वासन दिया गया।	XEN PWD
9	खाद्यान्न एवम् आपूर्ति विभाग द्वारा स्टॉलों की जांच	1. खाद्यान्न एवम् आपूर्ति नियन्त्रक से अनुरोध किया गया कि वह मेला अवधि के दौरान खाद्य निरीक्षक के माध्यम से खान पान की स्टॉलों का प्रतिदिन निरीक्षण सुनिश्चित करें। 2. एरिया मैनेजर सिविल सप्लाई कार्पोरेशन नाहन के प्रतिनिधि को चैत्र नवरात्र मेला के दौरान आयोजित भण्डारों हेतु कमर्शियल गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया गया।	DFSC/ AREA MANAGER CIVIL SUPPLY

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

10	मेले के दौरान डियुटी पर तैनात कर्मचारियों के ठहरने व खान–पान की सुविधा।	1. एस.डी.एम. नाहन द्वारा अनुरोध किया गया कि मेले के दौरान डियुटि पर तैनात समस्त विभागों के कर्मचारियों के ठहरने की व्यवस्था मन्दिर अधिकारी तथा सहायक प्रबन्धक मन्दिर के माध्यम से की जाए तथा न्यास के भवनों के अतिरिक्त त्रिलोकपुर स्थित निजि धर्मशालाओं से भी डियुटि कर्मचारियों हेतु कक्ष लिए जाएं। 2. पूर्व मेलों की तरह मेला अवधि के दौरान लगभग 600 कर्मचारियों हेतु कैन्टीन की सुविधा के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। उक्त कैन्टीन का संचालन मन्दिर अधिकारी सहित न्यास के सहायक प्रबन्धक प्रभारी की देखरेख में स्थायी भण्डारा हॉल भवन में करने का निर्णय लिया गया जो कि पूर्व मेला की तरह डियुटि कर्मचारियों हेतु नाश्ता, दोपहर व रात्री के भोजन की व्यवस्था हेतु जिम्मेदार होगें। यह भी निर्देश दिए गए कि उक्त कैन्टीन हेतु गैलेक्सी राईस मिल्स जिनके द्वारा गत मेलों में भी सहयोग दिया गया था को पुनः इस बार भी अनुरोध किया जाए।	AM Temple
11	स्वास्थ्य व्यवस्था	स्वास्थ्य सुविधा हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव रखे गए– 1. मेला क्षेत्र में आपातकालीन औषधियों की सुविधा सहित प्राथमिक चिकित्सा बूथ चिकित्सक व स्टॉफ सहित प्रस्ताव रखे गए । इस बारे बैठक में उपस्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि बी.एम.ओ. श्रीमति मोनिशा द्वारा अवगत करवाया गया कि पूर्व मेला अनुसार उन्के विभाग द्वारा तीन प्राथमिक चिक्तिसा बूथ स्थापित करवाएं जाएंगें जिसमें एक बूथ मेला डियुटि मैजि. के समीप स्थापित किया जाएगा , एक बूथ मन्दिर की पुरानी सराय तथा एक अन्यत्र शिव मन्दिर कक्ष में अथवा मेला क्षेत्र में आवश्यक्ता अनुसार स्थापित करवाया जाएगा। सहायक प्रबन्धक मन्दिर द्वारा अवगत करवाया गया कि मुलाना चिकित्सालय कॉलेज के माध्यम से भी निःशुल्क दवाईयों का वितरण जलसेवा के समीप किया जाता है। 2. एक बूथ आयु.डिस्पेंसरी में प्रस्तावित किया गया। इस मद बारे चर्चा की गई कि मेला के दौरान दवाईयों तथा तुरन्त राहत हेतु एलोपैथिक दवाईयों का प्रयोग किया जाता है। अतः बैठक में उपस्थित मुख्य आयुष अधिकारी की मांग अनुसार दवाईयों के क्रय हेतु न्यास द्वारा आवश्यक बजट का प्रावधान रखा जाना है। उक्त अधिकारी द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि मेला के अतिरिक्त अन्य भीड़ वाले दिनों में वर्षभर उन्के विभाग की डिस्पेंसरी द्वारा ही तुरन्त प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा प्रदान की जाती है।	CMO Sirmaur D.A.O. Sirmaur

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		अध्यक्ष महोदय द्वारा जानकारी मांगी गई कि सार्वजनिक चिकित्सा सुविधा हेतु सरकारी प्रावधानों अनुसार दवाईयों की निःशुल्क आपूर्ति होती है अतः यह सुविधा त्रिलोकपुर में भी मुहैया करवाई जाए। बैठक में उपस्थित डा.मोनिशा द्वारा अवगत करवाया गया कि जो आपातकालीन दवाईयॉ सरकारी प्रावधान में नही आती , को ही सरकारी एजेन्सी से क्रय किया जाता है, अतः 50,000रु के लगभग राशि र्प्याप्त होगी। उपरोक्त मदों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित निर्देश दिए गए कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी को 50,000रु तथा आर्युवैदिक डिस्पेंसरी को एक लाख रु तक की राशि का बजट प्रावधान स्वीकृत किया जाए। 3. यह भी निर्देश दिए गए कि कालाअम्ब क्षेत्र में एक एम्ब्युलेंस वाहन 108 तथा एक छोटी अम्ब्युलेंस रेड कास की ओर से त्रिलोकपुर में दिन रात तैनाती सुनिश्चित की जाए। रेडकास वाहन हेतु चालक तथा तेल आदि का व्यय न्यास द्वारा वहन करने के निर्देश दिए गए।	Joint Commissioner (T)
12	खाद्य सुरक्षा एवम् गुणवत्ता तथा मापतोल नियन्त्रण।	मेला क्षेत्र में स्थापित अस्थाई दुकानों में खाने–पीने ,फल ,दुग्ध विक्रेताओं तथा मिठाई व प्रसाद की गुणवत्ता जांच प्रस्तावित का प्रस्ताव रखा गया। इसके अतिरिक्त मापतोल नियन्त्रण विभाग सुनिश्चित करेगा कि मेला क्षेत्र में बिकने वाले खाद्य तथा अन्य पदार्थों के भार नियन्त्रित हों। उक्त मद बारे चर्चा के दौरान अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि मेला क्षेत्र में सम्बन्धित विभाग के निरीक्षक द्वारा सभी खान पान की सामग्री व अस्थाई दुकानों का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाए। इसके साथ ही मेले में विकय की जाने वाली खान पान सामग्री की गुणवत्ता, वजन व **एक्सपायरी डेट की सामग्री बारे** भी निरीक्षण किया जाए। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि मेला क्षेत्र में प्लास्टिक व पौलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध बारे सार्वजनिक स्तर पर सजग किया जाए तथा मेला क्षेत्र में सक्षम अधिकारी के माध्यम से पोलीथीन के प्रयोग पर चालान भी किए जाएं व मेला को प्लास्टिक मुक्त मेला घोषित किया जाए।	Asstt.Controlle Food Safety & Mela Duty Magistrate

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

13	सफाई व्यवस्था	एस.डी.एम. नाहन द्वारा मेला क्षेत्र में पूर्णतः सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. पूर्व मेला की तरह सफाई कर्मचारियों,सफाई सामग्री व कूड़ा वाहन सहित कार्य ठेके पर आमन्त्रित करने का प्रस्ताव रखा गया । 2. सफाई हेतु पूरे मेला क्षेत्र को चार सेक्टरों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया तथा मन्दिर के सुपरवाईजर की देखरेख में यह कार्य मेला से दो दिन पूर्व प्रारम्भ करवाया जाना प्रस्तावित तथा मेला समापन के बाद सम्पूर्ण सफाई होने तक सुनिश्चत किया जाए। 3. मेला क्षेत्र में पूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के आशय से न्यास द्वारा दुकानों की नीलामी आबंटन की अनिवार्य शर्त रखी जाए कि प्रत्येक दुकानदार अपनी–2 दुकान पर एक सूखे व एक गीले कूडे हेतु, दो कूडेदान रखें। उपरोक्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए तथा यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करवाई जाए साथ ही ठेकेदार को सख्त शर्तो अनुसार कार्य आबंटित किया जाए तथा सफाई हेतु जागरूकता फैलाने हेतु Waste Worriors(NGO)+ स्थानीय महिला व युवक मण्डलों का सहयोग लेने हेतु भी अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिए ।	AE Temple
14	सार्वजनिक सुविधा	एस.डी.एम. नाहन द्वारा मेला क्षेत्र में शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. साथ ही न्यास के अधीनस्थ समस्त 5 शौचालयों भवनों के 24 घण्टे अटेन्डैन्ट सहित सार्वजनिक प्रयोग हेतु मेला से पूर्व तुरन्त आवश्यक मुरम्मत करवाई जानी प्रस्तावित की गई। 2. अस्थाई वाहन पार्किंग स्थलों पर अस्थाई शौचालयों की स्थापना हेतु न्यास के सहायक अभियंता को प्राधिकृत करने का प्रस्ताव रखा गया।	AE Temple AM Temple

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

		3. उपरोक्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि मेला भण्डारा शैड के समीप मन्दिर न्यास की ओर से नए शौचालयों का निर्माण भी आगामी मेला से पहले करवाया जाए। उक्त कार्य की सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित प्राकलन प्रस्तुत करने के निर्देश सहायक अभियंता न्यास को दिए गए। यह भी निर्देश दिए गए कि मेले से पूर्व सभी स्थाई व अस्थाई शौचालयों की आवश्यक मुरम्मत न्यास के माध्यम से करवा दी जाए।	
15	क्षेत्र में पीने के पानी की सुविधा	एस.डी.एम. नाहन द्वारा मेला क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. पूर्व की तरह मेला क्षेत्र में लाईनों में खड़े यात्रियों को पीने के पानी की सुविधा हेतु न्यास के कर्मचारियों सहित अस्थाई लेबर को यात्रियों के बैरीकेटस में पेयजल वितरण हेतु तैनात करना प्रस्तावित की गई। 2. त्रिलोकपुर क्षेत्र में नियमित जल आपूर्ति हेतु जल शक्ति विभाग से करवाना प्रस्तावित। पूर्ण मेला अवधि हेतु पानी की नियमित आपूर्ति उनके द्वारा सुनिश्चित करवाई जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सम्बन्धित विभाग का आपूर्ति दल हर समय मेला क्षेत्र चिन्हित स्थान पर तैनात करना प्रस्तावित किया गया । 3. मेला क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति आवश्यकतानुसार 4000लीटर के टैंकरों के माध्यम से करवाई जानी प्रस्तावित जिनके द्वारा मेला क्षेत्र,भण्डारा व्यवस्था, बाईपास मार्ग व पार्किंग क्षेत्र में पीने की व्यवस्था तथा छिड़काव किया जाना प्रस्तावित किया गया जिस हेतु सहायक अभियंता प्राधिकृत होंगें।बैठक में उपस्थित डी0एस0पी0 महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि मेला क्षेत्र में विशेषकर वाहन पार्किंग व पुलिस बैरियर के समीप निरन्तर पानी का छिड़काव करवाया जाए । 4. त्रिलोकपुर में पेयजल आपूर्ति बारे सूचित किया गया कि भण्डारीवाला ग्राम से एक नई पेयजल लाईन स्थापित हो चुकी है किन्तु स्थानीय भू स्वामी द्वारा बोर वैल की नवीनीकरण पर आपत्ति जताई जा रही है जिसके कारण यह कार्य रुका हुआ है। उक्त	XEN IPH SDM Nahan

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

		मद बारे बैठक में उपस्थित माननीय विधायक महोदय श्री अजय सोलंकी द्वारा परामर्श दिया गया कि भू स्वामी से मन्दिर प्रशासन की ओर से एस.डी.एम. महोदय वार्ता करें यदि किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति भू स्वामी को की जानी हो तो उसे सार्वजनिक हित में मन्दिर न्यास से वहन किया जाए । उपरोक्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि निरन्तर जल आपूर्ति के अतिरिक्त न्यास की ओर से भी मेला भण्डारा शैड के समीप 20000 लीटर क्षमता की पेयजल स्टोरेज कैपेस्टी सुनिश्चित की जाए ताकि सरकारी स्कीम में रुकावट आने पर भण्डारों में किसी प्रकार की असुविधा न हो।	
16	मन्दिर एवम् मेला क्षेत्र का साज सज्जा एवम् विद्युतीकरण ।	एस.डी.एम. नाहन द्वारा मेला क्षेत्र में सजावटी लाईटों तथा साज सज्जा करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. मेला क्षेत्र में अस्थाई दुकानदारों हेतु अस्थाई बिजली आपूर्ति ठेकेदार द्वारा करवाने हेतु निविदा आमन्त्रित करने का प्रस्ताव रखा गया। 2 मेला क्षेत्र व न्यास के समस्त भवनों के डेकोरेटिव लाईटों के माध्यम से सुसज्जित करना प्रस्तावित किया गया। 3 मेला वाहन पार्किंग में भी अस्थाई बिजली आपूर्ति मन्दिर न्यास प्रस्तावित। चुंकि हिमुडा मन्दिर न्यास पार्किंग स्थल पर प्रत्येक छः माह में अस्थाई बिजली सुविधा ठेका दिया जाता है जिस हेतु लगभग 3 से 4 लाख रु व्यय आ जाता है । न्यास ने इस मुद्दे पर अपनी सहमति जताई व समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त हिमुडा पार्किंग में बिजली की स्थाई व्यवस्था करने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान की । 4 बैठक में उपस्थित सहायक अभियंता द्वारा यह भी प्रस्ताव रखा गया कि त्रिलोकपुर स्थित पुलिस नियन्त्रण कक्ष के पिछली ओर स्थित ग्राम पौठिया हेतु स्थायी बिजली के खम्बे लगवाये जाने आवश्यक हैं जिस पर अनुमानित लागत बारह लाख रु तक सम्भावित है। 5 सहायक अभियंता द्वारा अनुरोध किया गया कि हिमुडा से क्रय की गई 86 बीघा भूमि हेतु बिजली आपूर्ति के लिए पृथक बिजली ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया जाना आवश्यक	AM Temple

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		है। उक्त संदर्भ में माननीय विधायक महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि कार्य सरकारी स्कीम के तहत स्वीकृत है जिस बारे बैठक में उपस्थित विद्युत विभाग के प्रतिनिधि को निर्देश दिए गए कि मेला से पूर्व कम से कम 250के.वी. क्षमता का ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया जाए। उक्त पार्किंग भूमि पर न्यास की ओर से थ्री फेस मीटर भी स्थापित करवाने बारे प्रस्ताव रखा गया। उपरोक्त प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा उपरान्त सैद्धान्तिक अनुमोदन सहित अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि मन्दिर परिसर में साज सज्जा हेतु लाइटों व सजावट हेतु सिन्थेटिक चुन्नियों का न प्रयोग किया जाए तथा अधिक से अधिक कुदरती फूलों का प्रयोग किया जाए ।	
17	मन्दिर परिसर से बाजार गेट व बेरीकेड्स हेतु अस्थाई श्रमिकों को न्यूनतम वेतन आधार पर तैनात करना।	मन्दिर परिसर से बाजार गेट व बैरिकेड्स व सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. पूर्व मेलों की तरह इस बार भी समस्त मन्दिर कर्मियों के कुशल प्रयोग सहित प्रतिदिन दिन–रात की शिफटों में डियुटि चार्ट तैयार कर तैनात करने का प्रस्ताव रखा गया । 2. अन्य अतिरिक्त वांछित कार्यो जैसे मेला क्षेत्र में बैरिकेडिंग,परिसर में निरन्तर दिना रात सफाई कार्य , कैन्टीन आदि हेतु 70 श्रमिक तीन शिफटों में तथा 12 अस्थाई कर्मी सिविल एजेन्सी न्यास के अधीनस्थ इलैक्ट्रिशियन,पलम्बर आदि हेतु प्रस्तावित रखा गया उपरोक्त श्रमिक मेले से पूर्व व बाद में यथा आवश्यक रखें जाऐं। अस्थाई कर्मियों के अर्न्तगत नेहरु युवा केन्द्र के समन्वयक तथा एन.सी.सी. विभाग से वरिष्ठ डिविजन के कैडेटस की सेवाओं हेतु सम्पर्क किया जाए। उक्त शीर्ष में नेहरु युवा केन्द्र से मन्दिर परिसर हेतु लगभग 30 व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी दरों पर रखने का प्रस्ताव भी रखा गया। उपरोक्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि एस.डी.एम. महोदय तथा सी0पी0ओ0 महोदय न्यास कर्मचारियों से अतिरिक्त ओवरटाईम की औचित्यता बारे हि.प्र. के अन्य मन्दिर न्यासों तथा सरकारी विभागों जहॉं ओवर टाईम वेतन दिया जाता है से सम्पर्क कर रिर्पोट प्रस्तुत करें और रिर्पोट के आधार पर ओवर टाईम के भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई ।	Temple Officer

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

18	नगदी गणना तथा रसीदी दान कार्यो हेतु सरकारी अधिकारी /कर्मचारियों की नियुक्ति।	एस.डी.एम. नाहन द्वारा प्रतिदिन गणना कार्यो हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. नगदी गणना तथा रसीदी दान कार्यो हेतु मन्दिर अधिकारी या मौका मैजि0 की उपस्थिति में सुनिश्चित किया जाए। नगदी गणना कार्य में पूर्णतः पारदर्शिता हो , अतः प्रतिदिन मन्दिर अधिकारी की अध्यक्षता में दो गैर सरकारी न्यासियों सहित सहायक प्रबन्धक,मन्दिर व लेखा संयुक्त रुप में प्राधिकृत रखने प्रस्तावित रखे गए। 2. पूर्व की भांति राजस्व विभाग की ओर से छः कर्मचारी तथा आठ कर्मचारी न्यास के तैनात करने प्रस्तावित। प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से सांयकाल 6 बजे तक गणना मन्दिर अधिकारी/मैजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दो गैर सरकारी न्यासी रोटेशन में उपस्थित होने प्रस्ताव रखा गया। 3. नगद राशि बैंकर्स द्वारा स्वयम गणना कक्ष से गृह रक्षकों की देखरेख में सौंपी जानी प्रस्तावित की गई 4. मूल्यवान सामग्री को भी कुशल स्वर्णकार की उपस्थित में मोहरबंद कर डबल लॉक अलमारी में रखा जाना प्रस्तावित किया गया। 5. गैर सरकारी सदस्य श्री सुरेश कुमार द्वारा अनुरोध किया गया कि मन्दिर न्यास के जिन कर्मचारियों द्वारा गत मेलों में ओवरटाईम डियुटि दी गई है उन्हे ओवरटाईम वेतन नही मिला है। सहायक प्रबन्धक मन्दिर द्वारा भी अवगत करवाया गया कि मन्दिर परिसर स्थित कर्मचारियों से नवरात्र मेलों के अतिरिक्त भी वर्षभर चन्द्र पक्ष की अष्टमी,चौदस , पूर्णिमा तथा अवकाश दिवसों में भारी भीड़ को नियन्त्रित करने हेतु अतिरिक्त सेवाएं दी जाती है। अतः इस आशय हेतु उचित निर्णय न्यास की बैठक में लिया जाए। 6. उपरोक्त मदों के अतिरिक्त मौका पर एस.डी.एम. महोदय द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि गणना कक्ष में तैनात सुरक्षा कर्मचारी गणना में कार्यरत किसी भी कर्मचारी का रिश्तेदार नही होना चाहिए चुंकि इस संदर्भ में गत वर्ष हुई जॉच एजेन्सी द्वारा विशेष निर्देश दिए गए हैं। 7. बैठक में उपस्थित सी0पी0ओ0 महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि गणना हेतु तैनात सभी कर्मचारी बिना जेब की वर्दी में होनें चाहिएं व आते –जाते पूरी जांच की जानी चाहिए ।	TEMPLE OFFICER

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		उपरोक्त प्रस्तावों पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन दिया गया तथा अध्यक्ष महोदय द्वारा सी.पी.ओ. महोदय को अनुरोध किया गया कि वह भी मेले के दौरान गणना कक्ष में उपस्थिति सुनिश्चत करने का प्रयास करें। अध्यक्ष महोदय द्वारा यह भी निर्देश दिए गए कि गणना कक्ष में स्थापित सी.सी.टी.वी. कैमरों को दुरुस्त रखा जाए । डी.एस.पी. महोदय के परामर्श अनुसार यह भी निर्देश दिए गए कि परिसर स्थित सभी कैमरों का प्रतिदिन निरीक्षण होना चाहिए कि वह अपनी पोज़िशन में स्थित हैं कि नही? अथवा किसी भी स्तर पर कैमरों से कोई छेड़छाड़ या बंद न किया गया हो।	
19	परिवहन सुविधा	1. एस.डी.एम. महोदय द्वारा मेला में पधारने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु अधिक से अधिक बसें लगवाया जाना प्रस्तावित किया गया। 2. माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि मेला के दौरान नाहन से त्रिलोकपुर मेला हेतु विशेष बसें तैनात की जाएं। उपरोक्त कार्य हेतु बैठक में उपस्थित परिवरहन विभाग के अधिकारी द्वारा सहर्ष आश्वासन दिया गया।	DM HRTC
20	वाहन पार्किंग	एस.डी.एम. नाहन द्वारा हिमुडा मन्दिर न्यास पार्किंग ठेका पर देने हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. मेला क्षेत्र में समस्त वाहनों की सुनियोजित पार्किंग हेतु इस कार्य का ठेका अस्थाई सी.सी.टी.वी सहित देना प्रस्तावित किया गया । ठेकेदार द्वारा जिस हेतु एस.डी.एम. नाहन ,मन्दिर अधिकारी, सहायक अभियंता तथा दो गैर–सरकारी सदस्य ठेका समिति में शामिल होंगें। 2. वाहनों की अनुशासित पार्किंग को ध्यान में रखते हुए इस बार त्रिलोकपुर ग्राम प्रवेश पर हिमुडा से कय की गई खाली भूमि को का प्रयोग किया जाएगा। यह भी प्रस्तावित है कि न्यास द्वारा कय की गई 23 बीघा भूमि को भी वाहनों की पार्किंग हेतु , यदि सम्भव हो सके ,प्रयोग करने बारे प्रस्ताव रखा गया ।	Temple Officer & AE TTT, Pradhan Gram Panchayat Trilokpur

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		3. भारी वाहनों ,वसों व ट्रैक्टर की पार्किंग हेतु ग्राम त्रिलोकपुर के अन्य भूमि स्वामियों से सम्पर्क कर भूमि किराए पर ली जाए जिस हेतु सहायक अभियंता सहित मन्दिर अधिकारी तथा प्रधान ग्राम पंचायत तथा दो गैर सरकारी न्यासियों सहित उपसमिति प्रस्तावित जो कि वाहनों के पार्किंग स्थल के नीलामी हेतु प्राधिकृत होगी। 4. यह भी प्रस्तावित है कि समस्त पार्किंग स्थलों पर बिजली व पीने के पानी की सुचारु व्यवस्था मन्दिर न्यास द्वारा पूर्व मेलों की तरह सुनिश्चित करवाई जाए। 5. इसके अतिरिक्त उप प्रधान द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बस पार्किंग व दो पहिया वाहन के साथ स्थित कुछ भूमि स्थानीय ग्रामवासियों के स्वामित्व की है जिसका कोई शुल्क नही लिया जाता तथा सभी भू स्वामियों की मांग है कि बरसाती खडड् से उन्की भूमि के कटाव को रोकने हेतु दीर्घकाल से डंगा लगवाने का आश्वासन दिया गया था किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई। उक्त सदंभ में बैठक में उपस्थित जल शक्ति विभाग के सहायक अभियतां द्वारा सूचित किया गया कि उक्त भूमि पर उन्के विभाग की ओर से हैंड पम्पिंग स्कीम स्थापित है जिस हेतु विभाग द्वारा डंगा लगवाया जाना स्वीकृत है। उपरोक्त प्रस्तावों को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया तथा डी.एस.पी. महोदय के परामर्श अनुसार वाहन पार्किंग ठेकेदार के सभी कर्मचारियों को वर्दी व आई कार्ड सहित उपस्थित होने की अनिवार्य शर्त ठेके में जोड़ने के निर्देश दिए गए । यह भी निर्णय लिया गया कि सभी अस्थाई पार्किंग स्थलों पर वाहन पार्किंग ठेके में यह शर्त भी शामिल की जाए कि सभी अस्थाई कैमरे ठेकेदार के द्वारा ही स्वयम् स्थापित करवाए जाएं।	
21	आपातकालीन सेवाएं	एस.डी.एम. नाहन द्वारा मेला क्षेत्र में आपातकालीन सेवाओं हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1. मेला क्षेत्र मे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु अग्नि श्मन वाहन, केन तथा एम्ब्युलेंस सुविधा तैनात करनी प्रस्तावित की गई । उक्त वाहनों को भण्डारा मैदान में तैनात रखने बारे प्रस्ताव रखा गया ।	CMO Fire Officer

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		2. मन्दिर परिसर से बाहरी मेला क्षेत्र में बाजार गेट से मन्दिर मेला प्रवेश द्वार तक कुछ दूरी पर अग्नि शमन सिलेण्डर अस्थाई आधार स्थापित करने प्रस्ताव रखा गया जिनका प्रयोग मौका पर पुलिस/गृह रक्षक कर सकते हैं। इस हेतु मन्दिर स्टॉफ को भी उचित प्रशिक्षण दिया जा सकता है। 3. मेला स्थित स्थानीय दुकानदारों को भी प्रोत्साहित किया जाए कि वह भी अपनी दुकानों में अग्नि शमन सिलेण्डर स्थापित करवाएं। 4. मेला क्षेत्र स्थित स्कूल मैदान को खाली रखना सुनिश्चित किया जाने का प्रस्ताव रखा गया कि किसी भी आपदा प्रबन्धन की स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके। 5. यह भी प्रस्ताव रखा गया कि मेला क्षेत्र में भीड़ का आंकलन निरन्तर मेला पुलिस अधिकारी के माध्यम से ड्रोन द्वारा सुनिश्चत किया जाए तथा दर्शनों हेतु यात्रियों की भीड़ तथा भगदड़ जैसे स्थिति का पूर्वाभास /जायजा लिया जा सके। उपरोक्त प्रस्तावों को चर्चा उपरान्त अनुमोदित किया गया । यह भी निर्देश दिए गए कि मेला के दौरान लगने वाली अस्थाई दुकानदारों को एक–2 बाल्टि रेत की रखी जाए तथा स्थायी दुकानों को अग्नि शमन सिलेण्डर की अनिवार्यता बारे अग्नि शमन विभाग द्वारा निर्देशिका जारी की जाए।	
22	मेले के दौरान पहाड़ी वाद्यदलों द्वारा कार्यक्रम	मेला अवधि हेतु पहाडी वाद्यदलों को आमन्त्रित करने हेतु जिला भाषा अधिकारी का प्राधिकृत करना प्रस्तावित किया गया । उक्त वाद्यदलों को वास्तविक किराए यहित हि.. प्र.सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर यात्रा भत्ता सहित देने का प्रस्ताव रखा गया । बैठक में उपस्थित श्रीमति कांता नेगी द्वारा सूचित किया गया कि उन्के द्वारा 7 दलों को प्रति दल दो दिन आधार पर तैनाती करवा दी जाएगी। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन सहित प्रतिदल व्यय जारी करने हेतु सहायक प्रबन्धक मन्दिर को प्राधिकृत करने के निर्देश दिए गए।	DLO Nahan
23	भण्डारा व्यवस्था	एस.डी.एम. नाहन द्वारा मेला क्षेत्र में दिन रात भण्डारा सेवाओं हेतु निम्नलिखित प्रस्ताव रखे गए – 1 न्यास द्वारा नवनिर्मित भण्डारा शैड में यात्रियों को भण्डारा आयोजन की व्यवस्था किया	Temple Officer & Food Safety Officer

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

		जाना प्रस्तावित जिसमें सफाई टैंट आदि सामग्री हेतु पूर्ववत 5000रु प्रति भण्डारा ब्लॉक किराया प्रस्तावित किया गया । 2 यह भी प्रस्तावित किया गया कि उक्त भण्डारा ब्लॉक हेतु यथा आवश्यक टिकाऊ कुर्सियॉ ,टेबल तथा डस्ट बिन ,मैट आदि कय समिति के माध्यम से कय करने उचित होगें। अध्यक्ष महोदय उपरोक्त मदों की स्वीकृति सहित आवश्यक सामग्री का कय वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति उपरान्त करने बारे निर्देश दिए गए ।	
24	दंगल का आयोजन।	एस.डी.एम. महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि त्रिलोकपुर में चलित पूर्व परम्पराओं अनुसार चैत्र नवरात्र मेला में पूर्णिमा दिवस को दंगल के आयोजन हेतु जिला खेल अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति प्रस्तावित है जिसमें सहायक अभियंता, प्रधान ग्राम पंचायत सहित दो गैर सरकारी न्यासी सदस्य शामिल करने प्रस्तावित। उक्त कार्य हेतु अधिकतम ढ़ाई लाख रु का बजट प्रस्तावित किया गया। उक्त मद पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन कर आवश्यक राशि मन्दिर अधिकारी के माध्यम से जारी करने बारे निर्देश दिए गए ।	Distt.Sports Officer, AE Pradhan GP Trilokpur
25	मेला क्षेत्र में अस्थाई दुकानों की नीलामी	1. एस.डी.एम. महोदय द्वारा सूचित किया गया कि गत आश्विन मेला 2024 में लगभग 6 लाख रु की राशि दुकानों की नीलामी से एकत्रित हुई थी जिसे यथा तत्कालीन निर्णय अनुसार सफाई व बिजली की एकमुश्त 90,000रु व्यय की कटौती तथा ग्राम वासियों के 500 सीवरेज कनेक्शनों हेतु 1,25,000रु कटौती उपरान्त मु. 4,49,200रु की राशि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर को जारी कर दी गई है। 2. एस.डी.एम. महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि न्यास द्वारा समस्त ग्राम में सफाई तथा बिजली व्यवस्था स्वयम् की जाती है। अतः मन्दिर न्यास के स्वामित्व की भूमि पर अस्थाई दुकानों की नीलामी न्यास की समिति द्वारा करवाई जाए जिसमें तहसीलदार नाहन की अध्यक्षता में सहायक अभियंता , सहायक प्रबन्धक ,अधीक्षक सहित दो गैर सरकारी सदस्य शामिल कर कार्यवाही करनी प्रस्तावित की गई। 3. इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा केवल स्वयम् के स्वामित्व की भूमि पर ही प्लाटों का आबंटन का प्रस्ताव रखा गया ।	AM Temple

Joint Commissioner (Temple)
cum-SDM Nahan (H.P.)

			उक्त प्रस्तावों बारे चर्चा के दौरान बैठक में आमन्त्रित विशेष अतिथि माननीय विधायक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि मन्दिर न्यास द्वारा दुकानों से एकत्रित राशि को खर्च करने के लिए मन्दिर न्यास व ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर की एक कमेटी बनाई जाए जो कि सुनिश्चित करेगी कि उक्त एकत्रित राशि को जनहित में किस प्रकार प्रयोग किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक में जल शक्ति विभाग के प्रतिनिधि को अनुरोध किया गया कि ग्राम त्रिलोकपुर वासियों हेतु निजि सीवरेज कनेक्शन तुरन्त प्रभाव से जारी कर दिए जाए जिसकी राशि न्यास द्वारा 500रु प्रति कनेक्शन वहन की जाएगी।	
26	अन्य	1.	माननीय विधायक महोदय द्वारा प्रस्तावित किया गया कि बाईपास मार्ग स्थित ग्राम सीरीवाला के समीप यदि बरसाती खडड् पर पुलिया का निर्माण हो जाता है तो इसके समीप वाहन पार्किंग की सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम ओगलवाला के समीप भी खडड् पर पुलिया का निर्माण अति आवश्यक है जिससे कि ग्राम वासियों के साथ–2 यात्रियों को भी वाहन पार्किंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी । उक्त प्रस्ताव का चर्चा उपरान्त सर्वसम्मति से सैद्धान्तिक अनुमोदन दिया गया तथा लोक निर्माण विभाग को प्राकलन प्रस्तुत करने को अनुरोध किया गया ।	

बैठक के अन्त में अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुरोध किया गया कि मेला के दौरान सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए और मेले को पूर्णतः प्लास्टिक मुक्त मेला घोषित किया जाये तथा यात्रियों को मूलभूत सुविधाओं के दृष्टिगत विभागों को जो भी कार्य सौंपा गया है उसे मेला से पूर्व करवाना सुनिश्चित करें मेले के दौरान भी अपना पूर्ण सक्रिय सहयोग प्रदान करें।

Joint Commissioner (Temple)-
cum-SDM Nahan (H.P.)

(सुमित खिमटा) भा.प्र.से.
अध्यक्ष एवम् उपायुक्त सिरमौर
स्थित नाहन
DC Sirmour-Cum-Commissioner
Trilokpur Temple Trust

क्रमांक –म.आ./त्रि.म.न्यास/चैत्र नवरात्र बैठक– /2025– 405 दिनांक 15-02-25

प्रतिलिपि सेवा में,

1.मुख्य आयुक्त मन्दिर भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग स्थित शिमला,हिमाचल प्रदेश को सूचनार्थ प्रेषित।

2.अतिरिक्त मुख्य आयुक्त एवम् निदेशक ,भाषा,कला एवम् संस्कृति विभाग शिमला को सूचनार्थ प्रेषित।

3.एस.डी.एम.नाहन /समस्त न्यासियों व अधिकारियों को सूचनार्थ व यथानिर्णय अनुसार अनुपालनार्थ प्रेषित।

4.तहसीलदार नाहन मन्दिर अधिकारी को सूचनार्थ व अनुपालनार्थ प्रेषित।

5.सहायक अभियंता मन्दिर न्यास , सहायक प्रबन्धक,लेखा व मन्दिर एवम् कनिष्ठ अभियंता को बैठक में मदों अनुसार लिए गए निर्णयों की अनुपालनार्थ प्रेषित।

6. समस्त सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

7. समस्त न्यासिंयों को सूचनार्थ प्रेषित ।

अध्यक्ष एवम् उपायुक्त सिरमौर स्थित नाहन

Commissioner
Trilokpur Temple Trust